

नगरपालिका तावडू

सार्वजनिक सूचना

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगरपालिका भागीदारी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नगर निकाय प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ करने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एम0सी0टी0/2026/606-609 दिनांक 19.01.2026 द्वारा नगरपालिका तावडू में एरिया सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बारे सूचना नगरपालिका तावडू की website <https://ulbharyana.gov.in/Tauru/847> पर सभी जनसाधारण के लिए अपलोड कर दी गयी है।

अतः सभी जनसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि एरिया सभा के गठन से सम्बन्धित शक्तियों व उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगरपालिका तावडू की उक्त website पर उपलब्ध है।



सचिव,

नगरपालिका तावडू।